बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

कार्यालय आदेश

का0आ0:– 3/अ0प्र0–1–184/2020(खंड) 21 /पटना, दिनांक :– 8.6.21

श्री अनिल कुमार, तदेन रोकड़पाल, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, अरेराज के विरूद्ध कार्य प्रमंडल, अरेराज अंतर्गत पदस्थापन काल(वर्ष 2015–17) में रोकड़बही में अन्तिम शेष नहीं निकाले जाने, PMGSY Maintenance मद का भुगतान PMGSY Programme Fund से किये जाने, MMGSY WB16-Areraj-02 में अधिक भुगतान किये जाने, Royality मद की राशि को दिनांक 31.03.2020 तक संबंधित शीर्ष में जमा नहीं किये जाने एवं समुचित LDकी कटौती नहीं किये जाने संबंधी आरोपों के लिये आरोप पत्र गठित कर विभागीय पत्रांक 1702 अनु0 दिनांक 05.11.2020 द्वारा स्पष्टीकरण की मांग की गयी।

2. श्री कुमार द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण दिनांक 07.11.2020 के समीक्षोपरान्त उसे अस्वीकार योग्य पाते हुए विभागीय कार्यालय आदेश संख्या–60 सह पठित ज्ञापांक–1732 दिनांक 12.11.2020 द्वारा श्री कुमार को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया तथा इनके विरूद्ध बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम–17 के तहत कार्यालय आदेश संख्या–61 सह पठित ज्ञापांक–1747 अनु0 दिनांक 13.11.2020 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी, जिसके निमित्त मुख्य अभियंता–3, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को संचालन पदाधिकारी तथा श्री मुकेश श्रीवास्तव, सहायक अभियंता, मुख्य अभियंता–4 का कार्यालय, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नामित किया गया।

3. मुख्य अभियंता–3–सह–संचालन पदाधिकारी के पत्रांक–1626 अनु0 दिनांक 03.03.2021 द्वारा विभागीय कार्यवाही से संबंधित जॉच प्रतिवेदन समर्पित किया गया, जिसमें श्री कुमार के विरूद्ध गठित आरोप संख्या–2 के द्वितीय अंश "PMGSY अनुरक्षण मद का भुगतान PMGSY Programme Fund से किया गया है" को आंशिक रूप से प्रमाणित एवं शेष आरोपों को अप्रमाणित पाया गया।

4. संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जॉच प्रतिवेदन के समीक्षोपरान्त श्री कुमार को कार्यालय आदेश सं0–14 सह पठित ज्ञापांक–556 दिनांक 17.03.2021 द्वारा तत्काल प्रभाव से निलंबन से मुक्त किया गया एवं उक्त जॉच प्रतिवेदन से सहमत होते हुए प्रमाणित आरोप के आलोक में बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम 18 के सुसंगत प्रावधानों के तहत श्री कुमार से विभागीय पत्रांक–665 अनु0 दिनांक 09.04.2021 द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा की गयी।

5. श्री कुमार के पत्रांक–0 दिनांक 13.04.2021 द्वारा द्वितीय बचाव बयान समर्पित किया गया, जिसमें उल्लेख किया गया है कि कार्य प्रमंडल, अरेराज में लेखा लिपिक/कनीय लेखा लिपिक का चार पद स्वीकृत है, जिसके विरूद्ध मात्र एक लेखा लिपिक के पद पर उस समय उनका पदस्थापन किया गया था। शेष पद रिक्त रहने के कारण अन्य तीन लेखा लिपिकों का कार्य सम्पादन उनके द्वारा किया जा रहा था। इस परिस्थिति में एक ही शीर्ष के अन्तर्गत एक ही बैंक में कई खातों का संचालन होने के कारण एवं अत्याधिक कार्य बोझ के कारण इस प्रकार की मानवीय भूल का हो जाना स्वाभाविक है। उक्त भूल के संज्ञान में आते ही BRRDA से प्राप्त निदेश के आलोक में PMGSY Programme Fund के Bank Account के खाता में PMGSY Maint. Fund के Bank Account के खाता से चेक के माध्यम से उक्त राशि का समायोजन कर दिया गया। इस प्रकार इस मानवीय भूल का सुधार भी कर दिया गया है एवं किसी भी प्रकार की कोई वित्तीय क्षति विभाग को नहीं हुई है।

(SL) Phone-0612-2545191 Fax-0612-2545322, Website:- http//rwdbihnic.org, E-mail : secretaryrwdbihar@gmail.com , secy-reo-bih@nic.in

6. श्री कुमार के द्वितीय बचाव बयान में उल्लेखित तथ्यों से स्पष्ट है कि श्री कुमार द्वारा PMGSY अनुरक्षण मद का भुगतान PMGSY Programme Fund के बैंक खाते से किये जाने संबंधी आरोप को स्वंय स्वीकार किया गया है। साथ ही उनके द्वारा स्वंय इस त्रूटि का निराकरण नहीं किया गया अपितु BRRDA के द्वारा निदेश दिये जाने के पश्चात् कार्रवाई की गयी। PMGSY अनुरक्षण मद का भुगतान PMGSY Programme Fund से किया जाना गंभीर वित्तीय अनियमितता है। इससे स्पष्ट है कि श्री कुमार द्वारा लेखा संबंधी कार्यों के निष्पादन में घोर लापरवाही एवं कर्तव्यहीनता बरती गयी है।

अतएव श्री अनिल कुमार, तदेन रोकड़पाल, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, अरेराज (सम्प्रति पदस्थापन की प्रतीक्षा में) से प्राप्त द्वितीय बचाव बयान को अस्वीकृत करते हुए प्रमाणित आरोप के लिए इन्हें बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील)(संशोधन) नियमावली, 2007 के नियम 14(vii) के तहत कालमान वेतन में निम्नतम प्रक्रम (लेवल–4 के 25,500/–) पर सेवानिवृत्ति तक अवनति एवं इस अवधि में कोई वेतन वृद्धि देय नहीं होने की शास्ति अधिरोपित एवं संसूचित की जाती है।

8/6/21

(अशोक कुमार मिश्रा)
अभियंता प्रमुख

ज्ञापांक :–3/अ0प्र0–1–184/2020(खंड) 715 /पटना, दिनांक :– 8-6-21

प्रतिलिपि:- महालेखाकार, बिहार, पटना, वीरचंद पटेल पथ, पटना/कोषागार पदाधिकारी, निर्माण भवन, बेली रोड, पटना/कोषागार पदाधिकारी, सीतामढ़ी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

8/6/21

अभियंता प्रमुख

ज्ञापांक :–3/अ0प्र0–1–184/2020(खंड) 715 /पटना, दिनांक :– 8-6-21

प्रतिलिपि:– सचिव के आप्त सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/विशेष सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग/अभियंता प्रमुख, के आप्त सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग/सभी मुख्य अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग/अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, मोतिहारी/सीतामढ़ी/कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, अरेराज/बेलसंड/प्रशाखा पदाधिकारी–8, ग्रामीण कार्य विभाग/प्रशाखा पदाधिकारी–12, ग्रामीण कार्य विभाग/विभागीय आई0टी0 मैनेजर, बिहार, पटना/श्री अनिल कुमार, तदेन रोकड़पाल, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, अरेराज (सम्प्रति पदस्थापन की प्रतीक्षा में) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

8/6/21

अभियंता प्रमुख